GS WORLD

एक ऐसा संस्थान जो अपनी गुणवत्ता के लिए जाना जाता है...

IAS GS World PCS
Committed To Excellence

01 - 15 Feb., 2019

PIB

PICTURE

पत्र सूचना कार्यालय
PRESS INFORMATION BUREAU
भारत सरकार

DELHI CENTRE
629, Ground Floor, Main Road,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09
Ph.: 7042772062/63, 9868365322

ALLAHABAD CENTRE
GS World House, Stainly Road,
Near Traffic Choraha, Allahabad
Ph.: 0532-2266079, 8726027579

LUCKNOW CENTRE
A-7, Sector-J, Puraniya Chauraha
Aliganj, Lucknow
Ph.: 0522-4003197, 8756450894

भारत रंग महोत्सव

PIB, (2 Feb.)
संबंधित मंत्रालय – संस्कृति मंत्रालय
संबंधित मंत्री – डॉ. महेश शर्मा, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

संदर्भ

- हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी में 20वां अंतर्राष्ट्रीय नाट्य समारोह 'भारत रंग महोत्सव' 1 फरवरी से शुरू हुआ।
- महोत्सव के दौरान विभिन्न रंग टोलियों के 111 शो व अन्य संबद्ध कार्यक्रम आयोजित किए गए, जैसे- 'डायरेक्टर से मुलाकात', 'लिविंग लेजेंड' और मास्टर क्लास।
- एशिया के इस सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल का आयोजन मंडी हाउस स्थित राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (एनएसडी) करता है।
- रंगमंच के इस महापर्व का समापन 21 फरवरी को नयी दिल्ली में हुआ।

मुख्य बिंदु

- 21 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में इस साल हिंदी, अंग्रेजी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल किया गया है।
- अंतर्राष्ट्रीय प्रोडक्शन, जैसे- बांग्लादेश, पोलैंड, रूस, श्रीलंका, चेक रिपब्लिक, इटली, नेपाल, रोमानिया और सिंगापुर के नाटकों के साथ-साथ अमौखिक, लोक और बहुभाषी नाटकों की प्रस्तुतियां हुई।
- इस महोत्सव के दौरान 69 भारतीय और 15 विदेशी नाटकों का मंचन भी किया गया।
- राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने देशभर में रंगकर्म के विकास और संवर्धन के लिए भारत रंग महोत्सव की शुरुआत की थी।
- अपने प्रारंभिक दौर में इस नाट्योत्सव में भारतीय रंगकर्मियों की प्रस्तुतियों को शामिल किया जाता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इसमें विश्व के अन्य भागों से भी नाट्य प्रस्तुतियों को आमंत्रित किया जाने लगा है।

नो माई इंडिया प्रोग्राम

PIB, (3 Feb.)
संबंधित मंत्रालय – गृह मंत्रालय
संबंधित मंत्री – श्री राजनाथ सिंह

संदर्भ

- हाल ही में राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सौहार्द्र फाउंडेशन (National Foundation for Communal Harmony – NFCH) नो माई इंडिया प्रोग्राम के तहत एक विशेष कार्यशाला का आयोजन कर रहा है।
- इसमें 15 से 22 वर्ष की आयु के ऐसे 42 युवाओं को बुलाया गया है, जो भूतकाल में साम्प्रदायिक हिंसा के शिकार रहे हैं।

इस कार्यशाला के उद्देश्य

- बच्चों को मानसिक आघात के पश्चात् तनाव से मुक्ति पाने में सहायता करना।
- उन्हें ऐसे उपाय बताना, जिनसे वे भूतकाल में घटित घटनाओं की छाप से मुक्त हो सकें और अपनी भावनाओं को सम्भाल सकें।
- उन्हें विश्राम की गहरी अनुभूति एवं मानसिक शान्ति प्रदान करना।
- उनके मन में संसार के विषय में समावेशी दृष्टिकोण की रचना करना।
- उनमें यह भाव भरना कि समाज का एक-एक व्यक्ति दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, चाहे उसकी सामाजिक पहचान कुछ भी हो।

मुख्य बिंदु

- इस कार्यशाला का आयोजन आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के सहयोग से किया जा रहा है।
- इसमें सम्मिलित होने वाले युवा इन छः राज्यों से आ रहे हैं- जम्मू-कश्मीर, मणिपुर, असम, छत्तीसगढ़, बिहार और गुजरात। इनके साथ 10 सरकारी गुरु भी होंगे।

क्या है यह प्रोग्राम?

- यह कार्यक्रम राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सौहार्द्र फाउंडेशन के द्वारा आरम्भ किया गया एक अनूठा कार्यक्रम है।

- यह विभिन्न राज्यों से आये हुए बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है और इसका उद्देश्य एकता, भाईचारे और राष्ट्रीय एकात्मता को बढ़ावा देना है।
- इस कार्यक्रम में जिन विषयों से युवाओं का परिचय कराया जाता है उनमें से कुछ ये हैं - पर्यावरण, गृहस्थी, सामाजिक रीतियाँ आदि।
- इसमें देश के अलग-अलग भूभागों से लोग आते हैं। इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले लोगों को देश की समान ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के बारे में जानकारी दी जाती है।

राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सौहार्द्र फाउंडेशन

- यह केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में चलने वाला एक स्वायत्त संगठन है।
- यह फाउंडेशन उन बच्चों और युवाओं को सहायता पहुंचाता है, जो साम्प्रदायिक, जातीय, प्रजातीय अथवा आतंकवादी हिंसा के कारण अनाथ अथवा दरिद्र हो गये हैं।
- सहायता के रूप में उनका पुनर्वास तो किया ही जाता है, साथ ही विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से साम्प्रदायिक सौहार्द्र और राष्ट्रीय एकात्मकता को प्रोत्साहन भी दिया जाता है।

श्रीनगर-अलस्टेंग-द्रास-कारगिल-लेह ट्रांसमिशन सिस्टम

PIB, (3 Feb.)

संबंधित मंत्रालय – विद्युत मंत्रालय

संबंधित मंत्री – आर.के. सिंह राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

संदर्भ

- हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 220 केवी श्रीनगर - अलस्टेंग - द्रास- कारगिल - लेह ट्रांसमिशन सिस्टम को राष्ट्र को समर्पित किया है।
- इस कदम से पूरे वर्ष के दौरान लद्दाख को गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी।
- इससे पर्यटन क्षेत्र को काफी बढ़ावा मिलेगा और लद्दाख के सामाजिक-आर्थिक विकास में वृद्धि होगी।

पृष्ठभूमि

- प्रधानमंत्री ने 12 अगस्त, 2014 को इस परियोजना का शिलान्यास किया था।
- 4.5 वर्षों के अन्दर, यह परियोजना भारत सरकार की एक नवरत्न कंपनी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड) द्वारा पूरी कर ली गई है।

क्या है?

- यह ट्रांसमिशन लाइन 3000-4000 मीटर की ऊंचाई पर निर्मित है और इसकी लम्बाई प्राय: 335 किमी है।
- इस पर कुल व्यय 2266 करोड़ रू. आया है।
- इस परियोजना में द्रास, कारगिल, खलस्ती और लेह में निर्मित चार नए अत्याधुनिक 220/66 केवी गैस इंसुलेटेड सब-स्टेशन 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण बिजली सुनिश्चित करने में मद्द करेंगे।
- वित्त पोषण प्रावधान 95:05 (भारत सरकार के 95% और 5% जम्मू और कश्मीर राज्य के हिस्से) के अनुपात में है।

परियोजना के लाभ

- इस परियोजना के परिणामस्वरूप सर्दियों के दौरान डीजल पैदा करने वाले सेटों के उपयोग में बड़े पैमाने पर कमी आएगी और इस प्रकार प्राचीन लद्दाख क्षेत्र के सुंदर पर्यावरण की सुरक्षा में मद्द मिलेगी।
- इस परियोजना के कार्यान्वयन का उद्देश्य लद्दाख में कठोर सर्दियों में लद्दाख के लोगों को बिजली की आपूर्ति करना और ग्रीष्मकाल में एनएचपीसी के कारगिल और लेह हाइडल स्टेशनों की अधिशेष बिजली की निकासी करना है।
- यह पीएमआरपी योजना के तहत भारत सरकार की एक प्रमुख परियोजना है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय ग्रिड से जुड़कर जम्मू-कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता और गुणवत्ता में सुधार करना है।
- यह ग्रीष्मकाल में बिजली की आपूर्ति के साथ-साथ उस समय भी बिजली की आपूर्ति जारी रखेगा, जब सर्दियों में तापमान में गिरावट होती है और हाइड्रो बिजली उत्पादन समरूप नहीं रहते हैं।

- यह परियोजना किफायती दरों पर लद्दाख क्षेत्र की बिजली की मांग को पूरा करेगी।
- उचित दरों पर बिजली उपलब्ध होने से लद्दाख के आतिथ्य उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि डीजल सेटों पर उनकी निर्भरता कम हो जाएगी।
- यह सभी मौसमों में किफायती प्रवास की तलाश कर रहे पर्यटकों को भी आकर्षित करेगी।

क्या होता है पावरग्रिड?

- पावरग्रिड दुनिया की सबसे बड़ी पॉवर ट्रांसमिशन यूटिलिटी में से एक है और इसके अंदर ट्रांसमिशन लाइनों का एक विस्तृत नेटवर्क है जिसमें 238 सब-स्टेशन और 351,106 एमवीए की परिवर्तन क्षमता है।
- इसकी कुल लम्बाई 150,874 सर्किट किलोमीटर है।

भारत-मोनाको बिजनेस फोरम

PIB, (4 Feb.)
संबंधित मंत्रालय – वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
संबंधित मंत्री – श्री सुरेश प्रभु

संदर्भ

- हाल ही में मोनाको के राज्य प्रमुख प्रिंस अल्बर्ट द्वितीय भारत की पहली यात्रा पर आये थे, जहाँ उन्होंने भारत-मोनाको बिजनेस फोरम में हिस्सा लिया।
- भारत और मोनाको के संबंध काफी पुराने हैं, लेकिन दोनों के बीच कूटनीतिक रिश्तों की स्थापना 2007 में हुई थी।
- केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग तथा नागर विमानन मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा है कि पर्यटन सहित अनेक क्षेत्रों में भारत और मोनाको के बीच सहयोग की व्यापक संभावना है।

फोरम से संबंधित मुख्य बिंदु

- श्री सुरेश प्रभु ने इस फोरम में कहा कि भारत 2025 तक 5 खरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, जिसमें से 3 खरब डॉलर सेवा क्षेत्र से प्राप्त होंगे।
- इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए 12 सर्वोत्तम क्षेत्रों की पहचान की गई है। दुनिया की सर्वोच्च प्रति व्यक्ति आय में से एक मोनाको की मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था, उसके उद्योग और सेवा क्षेत्रों से संचालित है और उसकी निवेशक अनुकूल नीतियां, भारतीय कंपनियों के व्यवसाय और निवेश के लिए एक आदर्श स्थल हैं।

- मोनाको में उभरते हुए अवसर सेवा और कौशल के अनेक क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने के साथ भारत के सबसे भरोसेमंद क्षेत्रों के लिए सहायक हैं।
- भारत और मोनाको के बीच 2017-18 में द्विपक्षीय व्यापार 3.01 मिलियन रहा। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने की काफी संभावनाए हैं।
- भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेशक (अप्रैल 2000 से जून, 2018 तक) के रूप में मोनाको का 106वां स्थान है, जिसके साथ एफडीआई का इक्विटी प्रवाह 2.51 मिलियन अमेरिकी डॉलर है।

मोनाको के बारे में

- मोनाको राजशाही व्यवस्था वाला एक छोटा देश है, जो पश्चिमी यूरोप के फ्रेंच रिवेरा में स्थित है। यह तीन तरफ से फ्रांस जबकि चौथी ओर भूमध्य सागर से घिरा है।
- मोनाको वेटिकनसिटी के बाद दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश है। संवैधानिक राजशाही व्यवस्था के तहत मोनाको पर तकरीबन 600 वर्षों तक 'हाउस ऑफ ग्रिमाली' का शासन रहा है।

- मोनाको 1993 में मतदान के अधिकार के साथ संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बना। विदेश नीति के लिहाज से स्वतंत्र होने पर भी यह प्रतिरक्षा के नजरिए से फ्रांस पर निर्भर है।
- मोनाको यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसकी अनेक नीतियों का अनुपालन करता है जिनमें सीमा शुल्क और सीमा नियंत्रण शामिल हैं।
- इन नीतियों से देश में व्यापार बढ़ाने में मदद मिली है। फ्रांस के साथ अपने संबंधों के चलते मोनाको आपसी व्यापार के लिए यूरो का इस्तेमाल करता है।
- भूमध्य सागर और फ्रेंच रिवेरा में अपनी कूटनीतिक स्थिति के कारण मोनाको की अर्थव्यवस्था पांच स्तंभों पर आधारित है, जिनमें पर्यटन-उद्योग, व्यापार, अचल-संपत्ति, बैंकिंग और वित्तीय प्रबंधन शामिल हैं।

खनन अधिनियम, 1952

PIB, (4 Feb.)
संबंधित मंत्रालय – श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
संबंधित मंत्री – संतोष गंगवार (स्वतंत्र प्रभार)

संदर्भ

- हाल ही में खनन अधिनियम, 1952 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने धरातल के ऊपर अथवा धरातल के नीचे अवस्थित खदानों में काम कर रहीं स्त्रियों को खनन अधिनियम के अनुभाग- 46 के प्रावधानों से मुक्त कर दिया है।

इसके लिए निम्न शर्तें हैं

धरातल के ऊपर अवस्थित खान में काम करने वाली स्त्रियाँ।

- ऐसी खान के स्वामी स्त्रियों को 7 बजे सायं से लेकर 6 बजे प्रातः तक काम में लगा सकते हैं।
- इसके लिए सम्बन्धित स्त्री कर्मचारी से लिखित सहमति लेनी होगी।
- ऐसी स्त्रियों को उचित सुविधाएँ और व्यवसायिक एवं स्वास्थ्य से सम्बंधित सुरक्षा प्रदान की जायेगी।
- स्त्रियों को ऐसी खानों में काम देने की प्रक्रिया मुख्य खनन निरीक्षक के द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुरूप होनी चाहिए।
- ऐसी खानों में स्त्रियों को अकेले नहीं, अपितु समूह में भेजना होगा और एक शिफ्ट में तीन से कम स्त्रियाँ नहीं होनी चाहिए।

धरातल के नीचे अवस्थित खान में काम करने वाली स्त्रियाँ

- धरातल के नीचे अवस्थित खान के स्वामी स्त्रियों को 6 बजे से प्रातः से 7 बजे सायं तक तकनीकी, पर्यवेक्षण एवं प्रबंधन कार्य में लगा सकते हैं।

- इसके लिए भी सम्बंधित स्त्री कर्मचारी से लिखित अनुमति लेना आवश्यक होगा।
- ऐसी स्त्रियों को उचित सुविधाएँ और व्यवसायिक एवं स्वास्थ्य से सम्बंधित सुरक्षा प्रदान की जायेगी।
- स्त्रियों को ऐसी खानों में काम देने की प्रक्रिया मुख्य खनन निरीक्षक के द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुरूप होनी चाहिए।
- ऐसी खानों में स्त्रियों को अकेले नहीं, अपितु समूह में भेजना होगा और एक शिफ्ट में तीन से कम स्त्रियाँ नहीं होनी चाहिए।

एकीकृत प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी

PIB, (6 Feb.)
संबंधित मंत्रालय – वित्त मंत्रालय
संबंधित मंत्री – श्री अरुण जेटली

संदर्भ

- हाल ही में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम,2019 के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफसीएस) में सभी वित्तीय सेवाओं को नियमित करने के लिए एकीकृत प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दे दी है।
- भारत में प्रथम आईएफसीएस की स्थापना गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में की गई है।
- वर्तमान में आईएफसीएस में बैंकिंग, कैपिटल मार्केट और बीमा क्षेत्र में कई नियामक; जैसे- रिजर्व बैक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण(आईआरडीएआई) कार्यरत हैं।

प्राधिकरण का प्रबंधन

- प्राधिकरण में एक अध्यक्ष, रिजर्व बैंक, आईआरडीएआई,सेबी और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण(पीएफआरडीए) द्वारा नामित एक-एक सदस्य, केंद्र सरकार द्वारा नामित दो सदस्य और दो अन्य पूर्णकालिक या अंशकालिक सदस्य होंगे।

कार्य

- प्राधिकरण वित्तीय सेवा प्राधिकरण द्वारा आईएफएससी के लिए पहले से अनुमति प्राप्त सभी वित्तीय सेवाओं और उत्पादों का नियमन करेगा।
- प्राधिकरण इसके साथ ही समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसे अन्य वित्तीय उत्पाद, वित्तीय सेवा और एफआई का नियमन भी करेगा।
- प्राधिकरण इसके साथ ही केंद्र सरकार को ऐसे अन्य वित्तीय उत्पाद और सेवा तथा वित्तीय संस्थान, जिन्हें आईएफएससी में अनुमति दी जा सकती हो, की सिफारिश कर सकता है।

कार्यप्रणाली

- प्राधिकरण की प्रक्रिया और कार्यप्रणाली संसद द्वारा बनाए गए संबंधित अधिनियमों के अनुरूप होगी,जो ऐसे वित्तीय उत्पादों, सेवाओं और संस्थानों में परिस्थिति अनुरूप मान्य होगी।

राष्ट्रीय कामधेनु आयोग

PIB, (6 Feb.)
संबंधित मंत्रालय – वित्त मंत्रालय
संबंधित मंत्री – श्री अरुण जेटली

संदर्भ

- हाल ही में गायों और गोवंश की सुरक्षा एवं विकास के लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना से सम्बंधित प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है।

पृष्ठभूमि

- इस बार प्रस्तुत किए गये अंतरिम बजट में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन को 750 करोड़ आवंटित हुए हैं।
- बजट की प्रस्तुति के समय यह घोषणा की गई थी कि इस मिशन के अंतर्गत एक राष्ट्रीय कामधेनु आयोग स्थापित किया जाएगा।

आयोग के कार्य

- राष्ट्रीय कामधेनु आयोग गायों के प्रजनन और पालन, जैव-खाद, बायो-गैस जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान के कार्य में लगे हुए संस्थानों, जैसे - पशुपालन विश्वविद्यालयों, पशु विज्ञान विश्वविद्यालयों अथवा कृषि विश्वविद्यालयों अथवा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के सम्बंधित विभागों अथवा संगठनों से मिल-जुलकर अपने कार्य का निष्पादन करेगा।

- यह गोवंश के आनुवांशिक उत्क्रमण और उनकी उत्पादकता की वृद्धि से सम्बंधित वैज्ञानिक गतिविधियों को हाथ में लेगा।
- यह देश में चल रहे गो-संरक्षण एवं विकास से सम्बंधित कार्यक्रमों के लिए नीतिगत ढाँचा तैयार करेगा और आवश्यक दिशा-निर्देश देगा, जिससे कि गो-कल्याण से जुड़े कानून सही ढंग से लागू हो सकें।

आवश्यकता क्यों?

- राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ऐसे अनेक कार्य करेगा, जिससे देश के गोवंश का संरक्षण, सुरक्षा एवं विकास होगा।
- आयोग के माध्यम से देशी प्रजाति की गायों के विकास और संरक्षण में सहायता मिलेगी।
- आयोग के कार्यों से गोवंश क्षेत्र अधिक फले-फूलेगा, जिसका फल अंततः महिलाओं और छोटे तथा सीमांत किसानों को मिलेगा।

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान विधेयक, 2019

PIB, (6 Feb.)
संबंधित मंत्रालय – खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
संबंधित मंत्री – श्रीमती हरसिमरत कौर बादल

संदर्भ

- हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान विधेयक, 2019 को पेश किये जाने की मंजूरी दे दी है।

- इस विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान (एनआईएफटीईएम), कुंडली (हरियाणा) और भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएफपीटी), तंजावुर (तमिलनाडु) को 'राष्ट्रीय महत्व के संस्थान' का दर्जा प्रदान करना है।

लाभ

- इस विधान से इन संस्थानों को अपने शैक्षिक पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने और विकसित करने, अपने शैक्षिक क्रियाकलापों में अनुसंधान की गतिविधियां और उसका दर्जा बढ़ाने के लिए संचालनात्मक स्वायत्तता मिलेगी।
- इससे ये विश्वस्तरीय संस्थान बन सकेंगे।
- ये संस्थान सरकार की आरक्षण नीति लागू करेंगे और संबंधित हितधारकों के लाभ के लिए विशेष गतिविधियां भी चलायेंगे।
- इसके बल पर ये संस्थान विश्वस्तरीय शिक्षण प्रदान करने और नवाचारों के इस्तेमाल से अनुसंधान का अनुभव प्रदान करने में समर्थ होंगे।

जीसैट- 31

PIB, (6 Feb.)
संबंधित मंत्रालय – अंतरिक्ष विभाग
संबंधित मंत्री – ए. एस. किरण कुमार

संदर्भ

- हाल ही में इसरो का सबसे नया संचार उपग्रह जीसैट-31 फ्रेंच गुआना के अन्तरिक्ष अड्डे से एरियन स्पेस के द्वारा उसके एरियन 5 राकेट के माध्यम से सफलतापूर्वक छोड़ा गया।
- जीसैट-31 के साथ-साथ एरियन 5 से एक और संचार उपग्रह छोड़ा गया, जो सऊदी अरब का उपग्रह था। इसरो के अनुसार इस उपग्रह की आयु 15 साल की है।

क्या है?

- यह देश का 40वाँ संचार उपग्रह है।
- यह इसरो के पूर्ववर्ती इनसैट/जीसैट श्रृंखला का एक उपग्रह है।
- यह उपग्रह 36,000 कि.मी. की ऊँचाई पर भू-स्थैतिक कक्षा में इस उपग्रह में स्थित छोटी रॉकेट प्रणाली के माध्यम से स्थापित कर दिया जाएगा।

अंतरिक्ष विभाग
DEPARTMENT OF
SPACE
सत्यमेव जयते

लाभ

- यह कक्षा के अंदर विद्यमान कुछ उपग्रहों पर संचालन-संबंधी सेवाओं को जारी रखने में मद्द मुहैया करायेगा और जियोस्टेशनरी कक्षा में केयू-बैंड ट्रांसपोंडर की क्षमता में वृद्धि करेगा।
- यह उपग्रह भारतीय भू-भाग और द्वीप को कवरेज प्रदान करेगा।
- यह स्टॉक एक्सचेंज, टेलीविजन अपलिंक्स, डिजिटल उपग्रह समाचार जुटाने, डीटीएच टेलीविजन सेवाओं और सेलुलर बैक हॉल संपर्क में लाभ पहुँचाएगा।
- इससे एटीएम का नेटवर्क पहले की अपेक्षा काफी अच्छा हो जाएगा।
- यह उपग्रह अपने व्यापक बैंड ट्रांसपोंडर की मद्द से अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के विशाल समुद्री क्षेत्र के ऊपर संचार की सुविधा के लिये विस्तृत बीम कवरेज प्रदान करेगा।
- इससे टेलीफोन और इंटरनेट सेवाएँ और भी बेहतर होंगी।
- इस उपग्रह से दक्षिण अफ्रीका और यूरोप के लोगों को भी लाभ होगा।

अनियमित जमा योजना प्रतिबंध विधेयक, 2018

PIB, (6 Feb.)
संबंधित मंत्रालय – वित्त मंत्रालय
संबंधित मंत्री – श्री अरुण जेटली

संदर्भ

- हाल ही में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अनियमित जमा योजना प्रतिबंध विधेयक, 2018 में कुछ सुधार करने का अनुमोदन कर दिया है।
- ये सुधार स्थायी वित्त समिति के सुझाव पर लाये जा रहे हैं। इन सुधारों का उद्देश्य अवैध जमा लेने से सम्बन्धित गतिविधियों पर काबू पाना है। जिससे लोग अपनी मेहनत की कमाई न खो दें।

विधेयक के मुख्य प्रावधान

- इसमें किसी भी व्यक्ति को किसी अनियमित जमा योजना चलाने अथवा उसके लिए विज्ञापन निकालने अथवा जमा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसी गतिविधियाँ अब अपराध कहलाएंगी।
- इस प्रसंग में होने वाले अपराधों को तीन वर्गों में बाँटा गया है – i) अनियमित जमा योजना चलाना ii) नियमित जमा योजना में जालसाजी करना iii) अनियमित जमा योजना के लिए गलत ढंग से लोगों को लालच देना।

- विधेयक में ऐसे अपराधों की रोकथाम के लिए कठोर दंड और जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
- यदि अवैध ढंग से लोगों से जमा ले लिया गया है, तो धनराशि को वापस करने का प्रावधान किया गया है।
- जमा करने वालों को पैसा लौटवाने के लिए नए विधेयक के अनुसार सक्षम अधिकारी जमा लेने वालों की सम्पत्ति को जब्त कर सकता है।
- जमा नहीं लौटाने वालों की सम्पत्ति को जब्त करने और जमा करने वालों के पैसे लौटाने के लिए स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित कर दी गई है।
- देश में जमा लेने से सम्बंधित गतिविधियों की जानकारी को सार्वजनिक करने के लिए एक ऑनलाइन केन्द्रीय डेटाबेस बनाया जाएगा।

परमाणु टेक- 2019

PIB, (6 Feb.)

संबंधित मंत्रालय – परमाणु ऊर्जा विभाग

संबंधित मंत्री – डॉ. जितेन्द्र सिंह (राज्यमंत्री)

संदर्भ

- हाल ही में विदेश मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) द्वारा 'परमाणु टेक- 2019' सम्मेलन आयोजित किया गया।
- इस सम्मेलन में परमाणु ऊर्जा और विकिरण प्रौद्योगिकियों से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।
- केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, जन शिकायतें और पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्यमंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने परमाणु टेक- 2019 में मुख्य भाषण भी दिया।

मुख्य बिंदु

- विद्युत के धीरे-धीरे हट रहे अन्य स्रोतों को देखते हुए परमाणु ऊर्जा भविष्य में ऊर्जा का एक बड़ा और सस्ता स्रोत बनेगी।
- पिछले पांच वर्षों के दौरान सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक उपलब्धि यह है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र हरियाणा के गोरखपुर सहित देश के अन्य हिस्सों में भी स्थापित हो रहे हैं।
- भारत ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के साथ-साथ परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक विशिष्ट स्थान हासिल किया है।

परमाणु टेक- 2019 के प्रमुख सत्र

- **स्वास्थ्य सुरक्षा:** नाभिकीय औषधि तथा रेडिएशन थेरेपी - केयर टू क्योर।
- **भोजन संरक्षण, कृषि तथा औद्योगिक उपयोग:** खेत से कारखाने तक, पर्यावरण के लिए जिम्मेदारी निभाते हुए काम करना।
- इस सत्र में अन्य विषय थे - बीजों की गुणवत्ता बढ़ाना, पानी साफ करने की तकनीक, शहरी कचरे का निपटान, समुद्री किनारों की सफाई और औद्योगिक इकाईयों के लिए मानदंड स्थापित करना।

- **परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भारत की क्षमता का प्रदर्शन:** ऊर्जा सुरक्षा के साथ-साथ पर्यावरण को स्वच्छ रखना। आगामी मार्च से इसकी कार्यप्रणाली में शामिल विषय होंगे - जीसीएनईपी एवं भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम।

राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान

PIB, (8 Feb.)
संबंधित मंत्रालय – स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
संबंधित मंत्री – श्री जगत प्रकाश नड्डा

संदर्भ

- हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपने राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान का 8वां चरण शुरू कर दिया है।
- कृमि मुक्ति दिवस वर्ष में दो बार 10 फरवरी और 10 अगस्त को सभी राज्यों और संघशासित प्रदेशों में मनाया जाता है।

उद्देश्य

- इसका मुख्य उद्देश्य मिट्टी के संक्रमण से होने वाले एसटीएच रोग अर्थात् आंतों में परजीवी कृमि को खत्म करना है।

पृष्ठभूमि

- विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में 14 वर्ष से कम आयु वाली 64% आबादी को कृमि संक्रमण का खतरा है। कृमि मुक्ति अभियान, 2015 में शुरू किया गया था।

National Deworming Day on 10th February in all States, UTs of India

क्या है?

- कृमि मुक्ति अभियान कम लागत वाला एक ऐसा अभियान है, जिसके अंतर्गत करोड़ों बच्चों को कृमि से बचाव की सुरक्षित दवा अलबेंडेजौल दी जाती है। यह दवा वैश्विक स्तर पर कृमि निरोधक प्रभावी दवा मानी गई है।
- इस कार्यक्रम के 8वें चरण में 30 राज्यों और संघशासित प्रदेशों में एक से 19 आयु वर्ग के 44 करोड़ बच्चों और किशोरों को लक्षित किया गया है।
- यह अभियान महिला और बाल विकास तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से चलाया गया है।
- फरवरी, 2015 में जहां 9 करोड़ कृमि की दवा दी गई, वहीं अगस्त, 2018 में यह संख्या बढ़कर 22.69 करोड़ हो चुकी है।
- इस अभियान के तहत आम लोगों को खुले में शौच करने से कृमि संक्रमण के खतरों तथा उनमें साफ-सफाई की आदतों के प्रति जागरूक बनाया जाता है।

सेला टनल प्रोजेक्ट

PIB, (9 Feb.)
संबंधित मंत्रालय – रक्षा मंत्रालय
संबंधित मंत्री – निर्मला सीतारमण

संदर्भ

- हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में सेला टनल प्रोजेक्ट की आधारशिला सेला दर्रे के पास रखी।
- इस सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा किया जाएगा।
- इस परियोजना की घोषणा केन्द्रीय बजट-2018 में अरुण जेटली ने की थी।

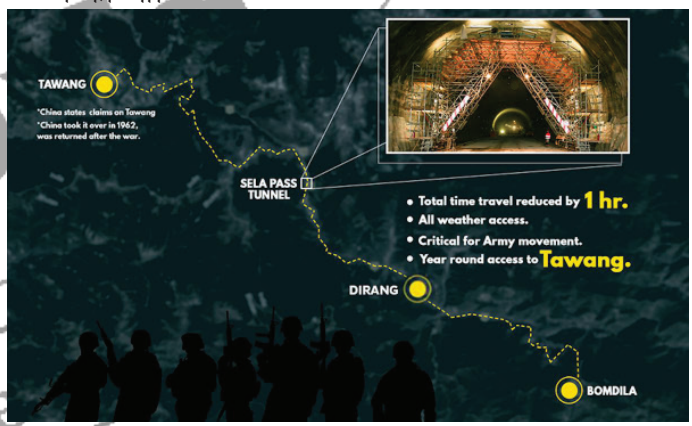

सेला दर्रा क्या है?

- यह भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में तवांग और पश्चिमी कामेंग जिले के मध्य अवस्थित एक उच्च तुंगता वाला पहाड़ी दर्रा है।
- इसकी ऊँचाई 4,170 मीटर (13,700 फुट) है और यह तिब्बती बौद्ध शहर तवांग को दिरांग और गुवाहाटी से जोड़ता है।
- इस दर्रे से होकर ही तवांग शेष भारत से एक मुख्य सड़क के जरिये जुड़ा हुआ है।
- इस दर्रे के आस-पास वनस्पतियाँ अल्प मात्रा में उगती हैं तथा यह क्षेत्र ज्यादातर सालों-भर बर्फ से आच्छादित होता है।

- इस दर्रे के शिखर के निकट स्थित सेला झील इस क्षेत्र में स्थित लगभग 101 पवित्र तिब्बती बौद्ध धर्म की झीलों में से एक है।

सेला सुरंग परियोजना के बारे में

- इस परियोजना को 687 करोड़ रुपये की लागत से पूरा किया जायेगा।
- इस परियोजना को पूरा होने में लगभग तीन साल लगेंगे।
- इस परियोजना के अंतर्गत 12.04 किलोमीटर की दूरी की सड़क का निर्माण किया जायेगा, जिसमें 1790 मीटर तथा 475 मीटर की दो सुरंगें भी सम्मिलित हैं।

New Tunnel At 13,700 Feet in Arunachal Pradesh. The master stroke of the Budget to counter China.

लाभ

- इस परियोजना के पूरा होने के पश्चात् तेजपुर और तवांग के मध्य यात्रा के समय एक घंटे की कमी हो जाएगी।
- यह सुरंग परियोजना सेना के लिए भी बहुत उपयोगी है।
- इससे आल-वेदर कनेक्टिविटी के साथ यात्रा के समय में भी कमी होगी।
- इस सुरंग से उत्तर-पूर्वी राज्यों में पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा और आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी आ सकेगी।

मोबाइल ऐप 'ई-कोकून' लॉन्च

PIB, (10 Feb.)

संबंधित मंत्रालय – वस्त्र मंत्रालय

संबंधित मंत्री – श्रीमती स्मृति जुबिन इरानी

संदर्भ

- हाल ही में कपड़ा मंत्रालय और केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा सर्जिंग सिल्क कार्यक्रम के दौरान जनजातीय क्षेत्रों की महिला रीलरों को बुनियाद सिल्क रीलिंग मशीनें वितरित की गई।
- मशीन का वितरण जांघों पर रीलिंग की पुरानी परंपरा के कुल उन्मूलन का हिस्सा है और तसर रेशम क्षेत्र में गरीब ग्रामीण और आदिवासी महिला रीलरों की सही कमाई सुनिश्चित करना इसका लक्ष्य है।
- छत्तीसगढ़ के चंपा के एक उद्यमी के सहयोग से सेंट्रल सिल्क टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित की गई मशीन तसर सिल्क यार्न की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार करेगी और महिलाओं के कठिन श्रम को कम करेगी।
- रीलिंग में जांघों के इस्तेमाल को समाप्त करने और मार्च 2020 का अंत तक इसे बुनियाद रीलिंग मशीन द्वारा बदलने की योजना है।

रीलिंग मशीन का लाभ

- पारंपरिक विधि का उपयोग करने वाली महिला प्रतिदिन लगभग 125 रूपये कमाती है, जबकि बुनियाद मशीन का उपयोग करने वाला एक तसर रीलर प्रतिदिन 350 रूपये कमा सकता है।
- कर और परिवहन शुल्क को छोड़कर मशीन की कीमत 8,475 रूपये प्रति यूनिट है। इससे निश्चित रूप से रेशम उत्पादन में लगे आदिवासी परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को सुधारने में मदद मिलेगी।
- चीन के बाद भारत रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और रेशम का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत की रेशम उत्पादन क्षमता 32,000 टन के वर्तमान स्तर से 2020 तक लगभग 38,500 टन तक पहुंचने की उम्मीद है।

कार्यक्रम के प्रमुख बिंदु

- इस आयोजन के दौरान, रेशम उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियां पाने वाले को सम्मानित किया गया।
- सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों को भी पुरस्कृत किया गया।
- रेशम कीट के बीज के क्षेत्र में गुणवत्ता प्रमाणन के लिए मोबाइल एप्लिकेशन ई-कोकून लॉन्च किया गया।
- भारतीय रेशम उद्योग और राज्य सेरीकल्चर प्रोफाइल का संकलन भी इस अवसर पर जारी किया गया।
- केंद्रीय वस्त्र मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने अपने संबोधन में कहा कि 2013-14 के बाद रेशम उत्पादन में 41 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

ई-कोकून मोबाइल ऐप

- रेशम कीट के बीज के क्षेत्र में गुणवत्ता प्रमाणन के लिए मोबाइल एप्लिकेशन ई-कोकून लॉन्च किया गया।
- मोबाइल ऐप ई-कोकून रेशम कृमि क्षेत्र में गुणवत्ता प्रमाणन में मदद करेगा।

- मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग रियल टाइम रिपोर्टिंग के माध्यम से सिस्टम और उत्पाद प्रमाणन के लिए केंद्रीय बीज अधिनियम के तहत नामित बीज विश्लेषकों और बीज अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

- बड़ी संख्या में हितधारकों - पंजीकृत बीज उत्पादकों (आरएसपी) और पंजीकृत चॉकीयरर्स (आरसीआर) को कवर करने के अलावा, आरएसपी, आरसीआर और रेशम के कीड़ों के अंडे के साथ अनिवार्य रूप से आवश्यक सिस्टम रेशम कीटपालन पर प्रभावी निगरानी रखी जाएगी।

खुला एकड़ लाइसेंस नीति (OALP)

PIB, (10 Feb.)

संबंधित मंत्रालय – पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
संबंधित मंत्री – धर्मेंद्र प्रधान (स्वतंत्र प्रभार)

संदर्भ

- हाल ही में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने खुला एकड़ लाइसेंस नीति के तहत तीसरी बार बोली लगाई है, जिसमें 31,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के 23 हाइड्रोकार्बन ब्लॉकों को तेल आदि की खोज के लिए आवंटित किया जाएगा।
- इस प्रकार OALP के अंतर्गत पिछले एक वर्ष में कुल एक लाख बीस हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में तेल आदि की खोज के लिए बोली लगाई जा चुकी है।

- वर्तमान बोली जिन 23 ब्लॉकों के लिए लगाई गई हैं, वे ब्लाक राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, असम, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, झारखंड और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में फैले हुए हैं।
- इसके अतिरिक्त कुछ ब्लॉक पूर्वी और पश्चिमी तटों के समीप भी हैं।

क्या है OALP?

- यह भारत सरकार की हाइड्रोकार्बन अन्वेषण एवं लाइसेंस नीति (HELP) का एक हिस्सा है।
- यह नीति भारत में तेल या प्राकृतिक गैस के नए भंडार खोजने और उसके दोहन से सम्बंधित है।
- इसमें तेल खोजने वाली कम्पनी को भारत सरकार द्वारा बोली लगाने के पहले ही अपने पसंद का ब्लॉक चुनने की सुविधा दी गयी है।
- इस नई नीति से भारत की अवसादी घाटियों के लगभग 2.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में तेल के अन्वेषण तथा अंततोगत्वा उत्पादन का मार्ग प्रशस्त हो जायेगा।

क्या है HELP?

- इसमें ऐसा प्रावधान किया गया है जिससे भारत की समस्त अवसादी घाटियों में घरेलू और विदेशी कम्पनियाँ निवेश करें और निवेश की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी हो तथा वित्तीय एवं प्रशासकीय तन्त्र निवेशकों के लिए अनुकूल हो।
- इस नई नीति का उद्देश्य निवेशकों को राष्ट्रीय डाटा संग्रह में उपलब्ध भूकम्प विषयक विशाल डाटा उपलब्ध कराना है।

HELP की आवश्यकता क्यों?

- भारत कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। यहाँ जो ऊर्जा खपत होती है, उसका 34.4% खनिज तेल और गैस से आता है।
- 2015-16 में कच्चे तेल के आयात पर भारत की निर्भरता 81% हो गई थी, जबकि पहले यह निर्भरता 78.5% थी। दूसरी ओर विगत पाँच वर्षों में भारत में तेल की खोज और उत्पादन में

समग्र रूप से गिरावट देखी गई है।

- भारत सरकार ने यह लक्ष्य निर्धारित किया है कि खनिज तेल के आयात में 2022 तक 10% की कमी लाई जाए। इसी को ध्यान में रखकर खनिज तेल के अन्वेषण की नीति बनाई गई है।
- अन्वेषण की प्रक्रिया को सरल करने से इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा तथा अंततः तेल और गैस के नए-नए कुओं के मिलने से हमारा उत्पादन बढ़ेगा।

क्रेडाई यूथकॉन- 19

PIB, (12 Feb.)

संदर्भ

- हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 13 फरवरी, 2019 को तालकटोरा स्टेडियम, नई दिल्ली में क्रेडाई यूथकॉन-19 को संबोधित किया।
- इस समारोह का आयोजन कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीआरईडीएआई) द्वारा किया गया।

- प्रधानमंत्री सीआरईडीएआई द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे।
- यूथकॉन क्रेडाई का वार्षिक युवा सम्मेलन है, जो भारत में रियल एस्टेट उद्योग की युवा पीढ़ी को एक मंच पर लाने के लिए आयोजित किया जाता है।
- क्रेडाई की स्थापना वर्ष 1999 में हुई थी।
- यह भारत के 200 से अधिक शहरों के रियल एस्टेट डेवलपरों का प्रतिनिधित्व करने वाली शीर्ष संस्था है।

सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1952

PIB, (12 Feb.)

संबंधित मंत्रालय – सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
संबंधित मंत्री – राज्यवर्धन सिंह राठौर (राज्यमंत्री)

संदर्भ

- हाल ही में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1952 में संशोधन के लिए सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक, 2019 को प्रस्तुत करने से संबंधित सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
- विधेयक का उद्देश्य फिल्म पायरेसी को रोकना है और इसमें गैर-अधिकृत कैम्कॉर्डिंग और फिल्मों की कॉपी बनाने के खिलाफ दंडात्मक प्रावधानों को शामिल करना है।

मुख्य बिंदु

- गैर-अधिकृत रिकॉर्डिंग को रोकने के लिए नई धारा- 6एए को जोड़ना।
- सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1952 की धारा- 6ए के बाद 6एए धारा जोड़ी जाएगी। इसमें अन्य कोई लागू कानून के बावजूद किसी व्यक्ति को लेखक की लिखित अनुमति के बिना किसी ऑडियो विजुअल रिकॉर्ड उपकरण का उपयोग करके किसी फिल्म या उसके किसी हिस्से को प्रसारित करने या प्रसारित करने का प्रयास करने या प्रसारित करने में सहायता पहुंचाने की अनुमति नहीं होगी।

- लेखक का अर्थ सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1952 की धारा 2 उपधारा-डी में दी गई व्याख्या के समान है।
- धारा-7 में संशोधन का उद्देश्य धारा-6एए के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में दंडात्मक प्रावधानों को पेश करना है। मुख्य अधिनियम की धारा'-7 में उपधारा-1 के बाद निम्न उपधारा-1ए जोड़ी जाएगी।
- **उपधारा-1ए:** यदि कोई व्यक्ति धारा-6एए के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो उसे 3 साल तक का कारावास या 10 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है।

लाभ

- प्रस्तावित संशोधनों से उद्योग के राजस्व में वृद्धि होगी, रोजगार का सृजन होगा, भारत की राष्ट्रीय आईपी नीति के प्रमुख उद्देश्यों की पूर्ति होगी और पायरेसी तथा ऑनलाइन विषयवस्तु के कॉपीराइट उल्लंघन के मामले में राहत मिलेगी।

संशोधन की आवश्यकता क्यों?

- समय के साथ एक माध्यम के रूप में सिनेमा, इसकी प्रौद्योगिकी, इसके उपकरण और यहां तक कि दर्शकों में भी महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं।
- पूरे देश में टीवी चैनलों और केबल नेटवर्क के विस्तार से मीडिया और एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में कई परिवर्तन हुए हैं।
- नई डिजिटल तकनीक का आगमन हुआ है और विशेषकर इंटरनेट पर पायरेटेड फिल्मों के प्रदर्शन से पायरेसी के खतरे बढ़े हैं। इससे फिल्म उद्योग और सरकार को राजस्व की अत्यधिक हानि होती है।

राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस

PIB, (12 Feb.)
संबंधित मंत्रालय – वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
संबंधित मंत्री – सुरेश प्रभु

संदर्भ

- हाल ही में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् ने 12 फरवरी को अपना 61वाँ स्थापना दिवस मनाया।
- यह अपने स्थापना दिवस को 'उत्पादकता दिवस' के रूप में मनाता है।

परिषद् के बारे में

- इसे भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय द्वारा वर्ष 1958 में स्थापित किया गया था।
- यह एक स्वायत्तशासी, बहुपक्षीय और गैर-लाभान्वित संगठन है।
- इसका लक्ष्य भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता को प्रोत्साहित करने के लिये शीर्ष संस्थान के रूप में कार्य करना है।
- यह परिषद् टोक्यो स्थित अंत:शासकीय निकाय, एशियाई उत्पादकता संगठन का एक घटक है। भारत एशियाई उत्पादकता संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक है।

राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह

- राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् द्वारा 12-18 फरवरी के दौरान राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह का आयोजन भी किया जा रहा है।
- इस वर्ष राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह की थीम है 'उत्पादकता और निरंतरता के लिये सर्कुलर अर्थव्यवस्था' ('Circular Economy for Productivity and Continuity')
- सर्कुलर इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था 'बनाओ, उपयोग करो, वापस पाओ' (Make-Use-Return) से जुड़े सर्कुलर बिजनेस मॉडल के लिये अनूठे अवसर को परिलक्षित करती है।

आशय पत्रक (एसओआई) पर हस्ताक्षर

PIB, (12 Feb.)
संबंधित आयोग – नीति आयोग
संबंधित उपाध्यक्ष – अमिताभ कांत

संदर्भ

- हाल ही में नीति आयोग तथा माइकल और सुसान डेल फाउंडेशन (एमएसडीएफ) ने प्रणालीगत सुधारों के माध्यम से पब्लिक स्कूल शिक्षा में सुधार लाने के लिए श्रेष्ठ प्रक्रियाओं को साझा करने और दस्तावेजों को संहिताबद्ध करने के लिए आशय पत्रक (एसओआई) पर हस्ताक्षर किए हैं।
- ऐसा एमएसडीएफ के भारत की विभिन्न राज्य सरकारों के साथ

किए गए कार्य के सामूहिक अनुभव के आधार पर किया गया है।

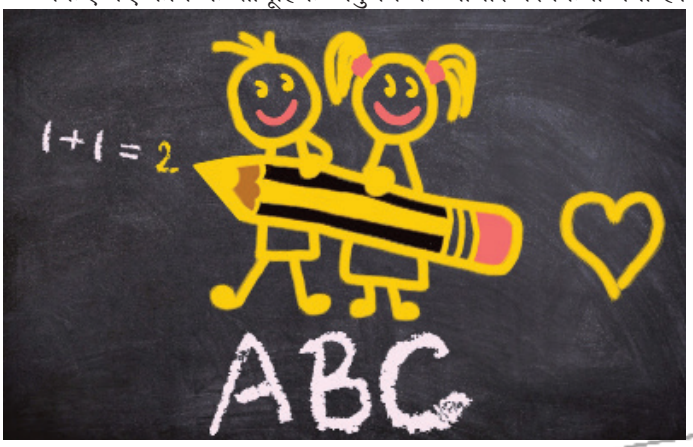

मुख्य तथ्य

- इस नवीनतम भागीदारी के तहत नीति आयोग और सुसान डेल फाउंडेशन विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा किये गए उन सुधारों का दस्तावेजीकरण करेंगे, जिनसे शिक्षा में प्रणालीगत सुधारों की शुरूआत हुई है और पिछले वर्षों के दौरान इन सुधारों से शिक्षा परिणामों में सुधार आना शुरू हुआ है।
- समझौते के तहत राज्य के नेताओं, सलाहकारों, अनुसंधान एजेंसियों और शिक्षकों को शामिल करके एक संयुक्त दल राज्यों से शिक्षा पर आधारित परिवर्तन के सिद्धांत को विकसित करने में मिलकर कार्य करेगा।

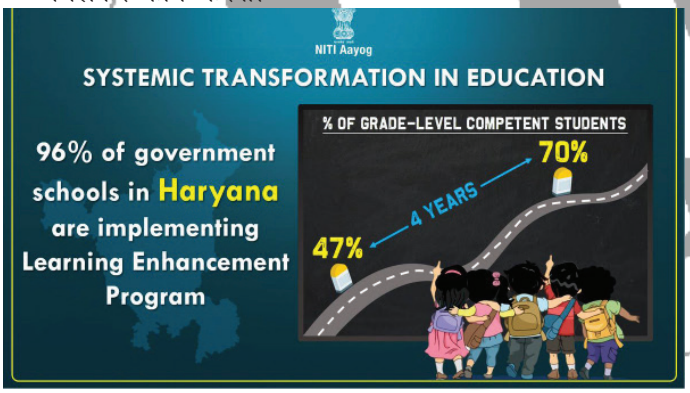

- शिक्षा में प्रणालीगत सुधार के प्रभाव के मूल्यांकन का अध्ययन तीसरे पक्ष द्वारा कराया जाएगा। एक स्तर पर शिक्षा परिणामों में सुधार लाने के लिए समन्वित और सतत् प्रयासों के साथ-साथ शैक्षिक तथा प्रशासन दोनों सुधारों की जरूरत है।

नीति आयोग के बारे में

- नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान) भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है, जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है।
- 1 जनवरी, 2015 को इस नए संस्थान के संबंध में जानकारी देने वाले मंत्रिमंडल का प्रस्ताव जारी किया गया।
- यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करेगा और उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा।
- नीति आयोग, केन्द्र और राज्य स्तरों पर सरकार को नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक महत्त्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराएगा।

अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन

PIB, (12 Feb.)
संबंधित मंत्रालय – जल संसाधन मंत्रालय
संबंधित मंत्री – श्री नितिन जयराम गडकरी

संदर्भ

- हाल ही में भारत सरकार, ओडिशा सरकार और विश्व बैंक की संयुक्त पहल के रूप में पांचवां अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन भुवनेश्वर में आयोजित किया गया।
- संस्थागत मजबूती के तौर पर विश्व बैंक की सहायता से बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (DRIP, ड्रिप) चलाई जा रही है।

बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना क्या है?

- ड्रिप एक छह वर्षीय परियोजना है, जिसे भारत सरकार का जल संसाधन मंत्रालय विश्व बैंक के सहयोग से कार्यान्वित कर रहा है।
- इस परियोजना का समन्वयन और पर्यवेक्षण केन्द्रीय जल आयोग के केन्द्रीय बाँध सुरक्षा संगठन के द्वारा हो रहा है। इसके लिए वह संगठन एक परामर्शी प्रतिष्ठान की सहायता ले रहा है।

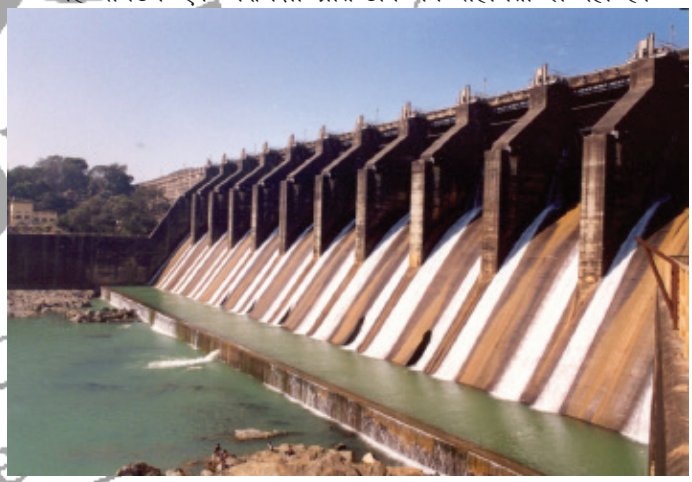

लक्ष्य

- इसे भारत में विश्व बैंक की सहायता से जल संसाधन मंत्रालय द्वारा लागू किया गया था।
- शुरू में यह परियोजना केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु के 223 बाँधों के लिए थी, परन्तु बाद में इसमें कर्नाटक, उत्तराखंड और झारखंड भी शामिल कर लिए गए, जिससे बाँधों की योग संख्या 250 हो गयी।
- इसका मुख्य उद्देश्य चुनिन्दा बांधों की सुरक्षा और सक्षमता में सुधार, भाग लेने वाले राज्यों के साथ-साथ केंद्रीय स्तर पर बांध

सुरक्षा से सम्बंधित संस्थागत निर्माण को मजबूत बनाना है।

- सात ड्रिप राज्य हैं- झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और उत्तराखंड।

आउटरीच कार्यक्रम

PIB, (12 Feb.)
संबंधित मंत्रालय – वस्त्र मंत्रालय
संबंधित मंत्री – श्रीमती स्मृति जुबिन इरानी

संदर्भ

- हाल ही में वस्त्र मंत्रालय द्वारा वस्त्र उद्योग क्षेत्र के सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों के लिए 'आउटरीच' कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हितधारकों को समर्थन व सहयोग प्रदान करने के लिए 100 दिनों के परस्पर बातचीत कार्यक्रम की घोषणा की थी।
- इस अवसर पर एमएसएमई से जुड़ी वस्त्र क्षेत्र की उपलब्धियों को एक प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शाया गया।
- विदित हो कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2 नवंबर, 2018 को एमएसएमई के लिए 100 दिनों के आउटरीच कार्यक्रम का शुभारंभ किया था।
- इसके लिए पूरे देश में 100 जिलों की पहचान की गई थी। 39 जिलों को वस्त्र मंत्रालय के लिए चिन्हित किया गया था। 39 जिलों में 12 हैंडलूम, 19 हस्तशिल्प और 8 पावरलूम के लिए निर्धारित किए गए थे।

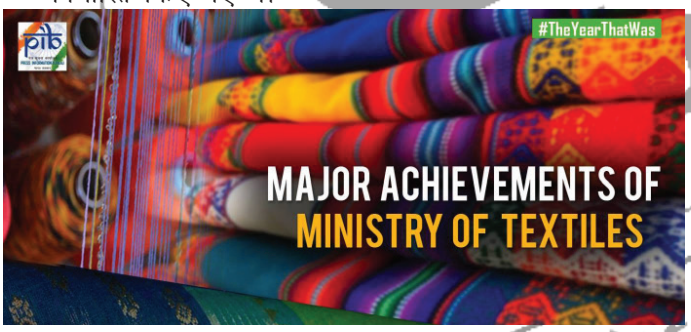

क्या है आउटरीच कार्यक्रम?

- आउटरीच कार्यक्रम के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। जैसे- स्थानीय बैंकों के सहयोग से मुद्रा ऋण के लिए कैंप लगाना, ई-धागा के लिए लाभार्थियों का पंजीकरण, लाभार्थियों को उपकरण किट का वितरण, कारीगरों तथा बुनकरों के लिए पहचान-पत्र का पंजीयन व वितरण, 24X7 हेल्पलाइन नंबर को लोकप्रिय बनाना, गुणवत्ता प्रमाण-पत्र देना और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।
- इसमें 9 तथा 10 फरवरी, 2019 को जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- इसके बाद 11 और 12 फरवरी को राज्य स्तर पर हैंडलूम, हस्तशिल्प और पावरलूम उत्पादों पर प्रदर्शनियां आयोजित की गई।

इस कार्यक्रम से लाभ

- एमएसएमई क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण सुविधा, बाजार तक पहुंच तथा समर्थन व सहयोग से इकाईयों को प्रोत्साहन मिलेगा और भारतीय वस्त्र क्षेत्र विकसित होगा।
- आउटरीच कार्यक्रम से गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे टेक्सटाइल हब की एमएमएफ वस्त्र निर्माण इकाईयों को लाभ मिलेगा।

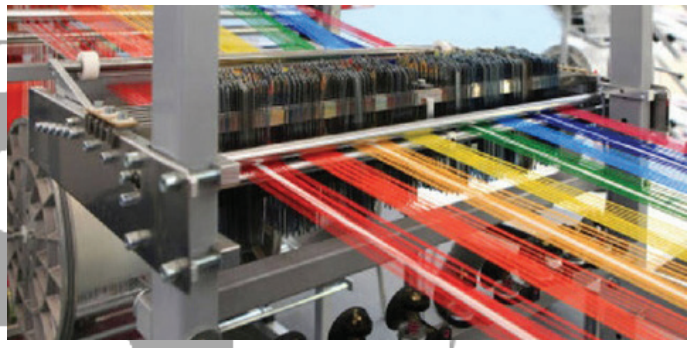

- एक घंटे से कम समय में ऋण स्वीकृति से सूक्ष्म, लघु व मध्यम क्षेत्र के उद्यमियों के समय की बचत होगी।
- निरीक्षक द्वारा जांच को समाप्त करने, निरीक्षक की जांच को कम्प्यूटर द्वारा चयनित करने, पोर्टल पर 48 घंटों के अंदर रिपोर्ट अपलोड करने आदि कदमों से उद्यमियों को व्यापार करने में आसानी होगी।
- भारत के कुल वस्त्र उद्योग में एमएसएमई क्षेत्र का हिस्सा 75 प्रतिशत से अधिक है।
- नई पहलों से अधिकांश इकाईयों को फायदा मिलेगा जैसे - नए ऋणों के लिए ब्याज दर में दो प्रतिशत की कटौती, निर्यात क्रेडिट के लिए दो प्रतिशत की अतिरिक्त कटौती, 59 मिनटों के अंदर 1 करोड़ तक की ऋण-स्वीकृति आदि।

एनआरआई विवाह पंजीरण विधेयक, 2019

PIB, (13 Feb.)
संबंधित मंत्रालय – विदेश मंत्रालय
संबंधित मंत्री – सुषमा स्वराज

संदर्भ

- हाल ही में एनआरआई (अनिवासी भारतीय) विवाह पंजीकरण विधेयक, 2019 राज्यसभा में पेश किया गया।
- इसका उद्देश्य अनिवासी भारतीयों की ज्यादा जवाबदेही सुनिश्चित करने के साथ-साथ भारतीय नागरिकों, विशेषकर एनआरआई जीवनसाथियों द्वारा अपनी-अपनी पत्नियों का उत्पीड़न करने के

खिलाफ उन्हें अपेक्षाकृत अधिक संरक्षण प्रदान करना है।

एनआरआई विवाह पंजीकरण विधेयक-2019

- विधेयक के कारणों एवं उद्देश्य में कहा गया कि भारतीय महिलाओं को अनिवासी भारतीयों द्वारा किए जाने वाले कपटपूर्ण विवाह से बचाने के लिए कुछ सुरक्षा उपाय करने की आवश्यकता है।
- इसी के तहत भारत और भारत के बाहर होने वाले ऐसे विवाह का शादी की तारीख से 30 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है।

- इसके तहत यदि पासपोर्ट अधिकारी के संज्ञान में यह बात आती है कि किसी अनिवासी भारतीय ने अपने विवाह का पंजीकरण शादी की तारीख से 30 दिनों के भीतर नहीं करवाया है, तो वह उसका पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज जब्त या रद्द कर सकता है।
- दंड प्रक्रिया संहिता के प्रस्तावित संशोधन के तहत अदालतें संबंधित अनिवासी भारतीय के खिलाफ भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की विशेष रूप से तैयार की गयी वेबसाइट के जरिये समन जारी कर सकती हैं।
- इसके अलावा घोषित अपराधी की चल एवं अचल संपत्ति को कुर्क करने का भी इसमें प्रावधान किया गया है।
- इस विधेयक में कानूनी रूपरेखा में संशोधन करने का प्रावधान किया गया है, ताकि इससे दोषी एनआरआई जीवनसाथियों पर लगाम लग सके एवं ज्यादा जवाबदेही सुनिश्चित हो सके और इसके साथ ही एनआरआई से विवाह करने वाले भारतीय नागरिकों को उत्पीड़न के खिलाफ संरक्षण मिल सके।

विधेयक पारित हो जाने पर अनिवासी भारतीयों द्वारा की जाने वाली शादियों का पंजीकरण भारत अथवा विदेश स्थित भारतीय मिशनों में कराना होगा और इसके लिए निम्नलिखित प्रावधानों में आवश्यक बदलाव करने होंगे:-

- पासपोर्ट अधिनियम, 1967 में
- धारा- 86ए को शामिल करते हुए फौजदारी या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में

आवश्यकता एवं प्रभाव

- भारत में अदालती कार्यवाही के लिए न्यायिक समन जारी करना एक प्रमुख समस्या है, जिसके लिए इस विधेयक में आवश्यक प्रावधान किया जाएगा।

- इसके लिए फौजदारी अथवा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में संशोधन किया जाएगा।
- अत: इस विधेयक के फलस्वरूप अनिवासी भारतीयों से विवाह करने वाली भारतीय नागरिकों को अपेक्षाकृत ज्यादा संरक्षण मिलेगा।
- इसके साथ ही यह विधेयक अपनी जीवनसाथी का उत्पीड़न करने वाले अनिवासी भारतीयों पर लगाम लगाएगा।
- इस विधेयक से विश्व भर में अनिवासी भारतीयों से विवाह कर चुकी भारतीय महिलाएं लाभान्वित होंगी।

ई-औषधि पोर्टल

PIB, (13 Feb.)
संबंधित मंत्रालय – आयुष मंत्रालय
संबंधित मंत्री – श्रीपद नाइक (स्वतंत्र प्रभार)

संदर्भ

- हाल ही में आयुष राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीपद येसो नाइक ने आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी औषधियों की ऑनलाइन लाइसेंस प्रणाली के लिए ई-औषधि नामक पोर्टल की शुरूआत की है।

- आयुष मंत्रालय की इस पहल से ई-गवर्नेंस, कारोबारी सुगमता और 'मेक इन इंडिया' की दिशा में केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता का पता चलता है।

उद्देश्य

- पारदर्शिता बढ़ाना।
- सूचना प्रबंधन सुविधा तथा आंकड़ों के इस्तेमाल में सुधार लाना और जवाबदेही को बढ़ाना।

पोर्टल के बारे में

- यह पोर्टल लाइसेंस प्रदाता अधिकारी, निर्माताओं और उपभोक्ताओं के लिए मद्दगार होने के साथ-साथ लाइसेंस प्राप्त निर्माताओं तथा उनके उत्पादों, रद्द की गई और नकली औषधियों की जानकारी देने के अलावा शिकायतों के लिए संबंधित अधिकारी का संपर्क सूत्र भी तत्काल उपलब्ध कराएगा।
- इस पोर्टल के माध्यम से आवेदनों की प्रक्रिया को समयबद्ध करने के लिए प्रत्येक चरण में पोर्टल के जरिये एसएमएस और ई-मेल के जरिये जानकारी दी जाएगी।
- यह नया ई-पोर्टल आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी ऑटोमेटेड ड्रग हेल्प इनिशिएटिव के लिए एक मूल आधार है।

राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी

PIB, (14 Feb.)
संबंधित मंत्रालय – श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
संबंधित मंत्री – संतोष गंगवार (स्वतंत्र प्रभार)

संदर्भ

- हाल ही में विशेषज्ञ समिति ने अलग-अलग सामाजिक-आर्थिक और श्रम बाजार स्थितियों के साथ पाँच भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन निर्धारित करने की सिफारिश की है।

प्रस्तावित राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी क्या है?

- समिति का विचार है कि भारत के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन का एकल मूल्य प्रतिदिन 375 रुपये या 9,750 रुपये प्रति माह निर्धारित किया जाना चाहिए।
- रिपोर्ट में अतिरिक्त मकान किराया भत्ता की सिफारिश की है, जो औसतन प्रतिदिन 55 रुपये है, यानी शहरी श्रमिकों के लिए प्रति माह 1,430 रुपये राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी के ऊपर घर का किराया। किराया भत्ता शहर और शहर के प्रकार के अनुसार अलग-अलग हो सकता है।

क्षेत्रीय विविधताएँ

- विविध सामाजिक-आर्थिक और श्रम बाजार स्थितियों के साथ पांच अलग-अलग क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन निर्धारित करने की अनुशंसा की है -
- क्षेत्र I के लिए 342 रुपये (8,892 रुपये प्रति माह), क्षेत्र II के लिए 380 रुपये (9,880 रुपये प्रति माह), क्षेत्र III के लिए 414 रुपये (प्रति माह 10,764 रुपये), क्षेत्र IV के लिए 447 रुपये (11,622 रुपये प्रति माह) और क्षेत्र V के लिए 386 रुपये (प्रति माह 10,036 रुपये) निर्धारित किया जाना चाहिए।
- क्षेत्र एक में असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। क्षेत्र 2 में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर और उत्तराखंड शामिल हैं।
- क्षेत्र 3 में गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु शामिल हैं। क्षेत्र 4 में दिल्ली, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब और क्षेत्र 5 में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम और त्रिपुरा शामिल हैं।

वर्तमान स्थिति

- राज्यों के बीच मासिक न्यूनतम मजदूरी में न्यूनतम और अधिकतम अंतर का स्तर 12,194 रुपये है।
- अगर समिति का प्रस्ताव लागू होता है तो अंतर 2,739 रुपये होगा। भारत में कुछ अनुसूचित रोजगारों में न्यूनतम वेतन कम हुआ है, जैसे- ईंट-भट्ठों और तेल मिलों में।
- यहां तक कि केरल, जो अधिक न्यूनतम वेतन के लिए जाना जाता है वह भी कृषि और निर्माण क्षेत्रों में 2018-13 के दौरान महाराष्ट्र से नीचे आ गया, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठनों की वेजेस रिपोर्ट- 2018 से पता चलता है।

ई-टूरिस्ट वीजा

PIB, (15 Feb.)

संबंधित मंत्रालय – विदेश मंत्रालय

संबंधित मंत्री – सुषमा स्वराज

संदर्भ

- हाल ही में भारत सरकार ने ई-वीजा व्यवस्था में संशोधन करते हुए इसको पहले से अधिक उदार और पर्यटकोन्मुख बना दिया है।
- एक बड़ा संशोधन यह है कि ई-टूरिस्ट वीजा अब 166 देशों पर लागू होगा, जबकि 2014 में (जब यह आरम्भ हुआ था) यह 46 देशों पर लागू था।

महत्त्वपूर्ण संशोधन

- ई-पर्यटक और ई-व्यापार वीजा के अंतर्गत भारत में प्रवास की अवधि को दो महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया गया है।
- साथ ही, विदेशी नागरिक को अधिकतम तीन बार अनुमति देने के वर्तमान प्रतिबंध को भी हटा दिया गया है।

ई-पर्यटन वीजा में बदलाव

- प्रत्येक यात्रा के दौरान ई- वीजा पर निरंतर प्रवास अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और जापान के नागरिकों को छोड़कर ई-वीजा प्रदान किए जाने के पात्र सभी देशों के नागरिकों के मामले में 90 दिनों से अधिक नहीं होगा।
- अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और जापान के नागरिकों के मामले में प्रत्येक यात्रा के दौरान निरंतर प्रवास 180 दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए।
- सभी मामलों में पंजीकरण की जरुरत नहीं होगी।

ई-व्यापार वीजा में बदलाव

- ई-वीजा प्रदान किए जाने के लिए पात्र सभी देशों के नागरिकों के मामले में प्रत्येक यात्रा के समय निरंतर प्रवास 180 दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए।
- 180 दिनों से कम अवधि के प्रवास पर किसी पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी।

अन्य परिवर्तन

- ई-वीजा 2 (दो) और नामित हवाई अड्डों (भुवनेश्वर और पोर्ट ब्लेयर) के माध्यम से प्रवेश के लिए वैध है, ऐसे हवाई अड्डों की कुल संख्या बढ़ाकर 28 कर दी गई है।
- सामान्य ई-पर्यटन वीजा या पर्यटन वीजा के तहत डेस्टिनेशन वेडिंग में भाग लेना भी शामिल है क्योंकि डेस्टिनेशन वेडिंग वीजा की कोई भिन्न श्रेणी नहीं है।
- भारत में प्रवास के दौरान बीमार पड़ने वाले विदेशी नागरिक अब अपने वीजा को मेडिकल वीजा में बदलाव किए बिना चिकित्सा उपचार प्राप्त कर सकते हैं।
- कोरिया गणराज्य के नागरिकों को आगमन-पर-वीजा सुविधा प्रदान की गई।

संबंधित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. 'भारत रंग महोत्सव' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
   1. इस महोत्सव का आयोजन दिल्ली में किया गया।
   2. यह एशिया का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल है, जिसका आयोजन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय करता है।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
   1. नो माई इंडिया कार्यक्रम राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सौहार्द्र फाउंडेशन के द्वारा किया गया एक अनूठा कार्यक्रम है।
   2. राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सौहार्द फाउंडेशन गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में चलने वाला एक स्वायत्त संगठन है।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

3. 'श्रीनगर- अलस्टेंग-द्रास-कारगिल-लेह ट्रांस मिशन सिस्टम' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
   1. इसकी शुरूआत अगस्त, 2014 में की गयी थी।
   2. हाल ही में इस परियोजना को पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा पूरा किया गया है।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
   1. मोनाको पश्चिमी यूरोप के फ्रेंच रिवेरा में स्थित लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला एक छोटा देश है।
   2. मोनाको का भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेशक के रूप में 106 वां स्थान है।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

5. 'खनन अधिनियम, 1952' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
   1. हाल ही में केन्द्र सरकार ने इस अधिनियम का प्रयोग करते हुए धरातल के नीचे अथवा ऊपर अवस्थित खदानों में कार्य कर रही स्त्रियों को खनन अधिनियम के अनुभाग 46 के प्रावधानों से मुक्त कर दिया है।
   2. अब धरातल के नीचे कार्य करने वाली स्त्रियां अकेले नहीं जा सकती, अपितु समूह में भेजना होगा।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

6. हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में सभी वित्तीय सेवाओं को नियमित करने के लिए एकीकृत प्राधिकरण की स्थापना भारत के किस राज्य में की गयी है?
   (a) गुजरात (b) महाराष्ट्र
   (c) मध्यप्रदेश (d) राजस्थान

7. 'राष्ट्रीय कामधेनु आयोग' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
   1. इस आयोग के माध्यम से देशी प्रजाति की गायों के विकास और संरक्षण पर बल दिया जाएगा।
   2. इस आयोग का गठन राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत किया जाएगा।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

8. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
   1. राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान पंजाब में स्थित है।
   2. भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान तमिलनाडु में स्थित है।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

9. जीसैट- 31 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
   1. इसरो द्वारा इस संचार उपग्रह को आंध्र प्रदेश में स्थित श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया।
   2. यह भारत का 40वां संचार उपग्रह है।
   3. यह इसरो के पूर्ववर्ती इनसेट श्रृंखला का एक उपग्रह है।

   उपर्युक्त में से कौन-से कथन सत्य हैं?
   (a) 1 और 2 (b) 2 और 3
   (c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

10. अनियमित जमा योजना प्रतिबंध विधेयक, 2018 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. हाल ही में इस विधेयक में सुधार करने कर अनुमोदन स्थायी वित्त समिति के सुझाव पर लाया गया है।
2. इस विधेयक में सुधार का उद्देश्य अवैध जमा लेने से संबंधित गतिविधियों पर नियंत्रण पाना है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

11. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. हाल ही में रक्षा मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा 'परमाणु टेक- 2019' सम्मेलन का आयोजन किया गया।
2. उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में परमाणु ऊर्जा संयत्र स्थापित किया जाएगा।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

12. राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन असत्य है?
(a) यह अभियान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से चलाया जा रहा है।
(b) राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस वर्ष में दो बार मनाया जाता है।
(c) राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान की शुरूआत 2018 में की गयी।
(d) इसका उद्देश्य मिट्टी के संक्रमण से होने वाले एसटीएच रोग को खत्म करना है।

13. 'सेला टनल प्रोजेक्ट का संबंध भारत के किस राज्य से है?
(a) जम्मू-कश्मीर (b) हिमाचल प्रदेश
(c) सिक्किम (d) अरूणाचल प्रदेश

14. हाल ही मोबाइल एप्प 'ई-कोकून' किस मंत्रालय द्वारा लांच किया गया है?
(a) रेल मंत्रालय (b) कपड़ा मंत्रालय
(c) गृह मंत्रालय (d) पर्यावरण मंत्रालय

15. 'खुला एकड़ लाइसेंस नीति' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. यह भारत सरकार की हाइड्रोकार्बन अन्वेषण एवं लाइसेंस नीति का एक हिस्सा है।
2. यह नीति भारत में तेल या प्राकृतिक गैस के नए भंडार खोजने और उसके दोहन से संबंधित है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

16. 'क्रेडाई यूथकॉन- 19' के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन असत्य हैं?
(a) क्रेडाई की स्थापना वर्ष 1999 में की गयी थी।
(b) हाल ही में इसका आयोजन कॉन्फ्रेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलेपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया।
(c) यह भारत में रीयल एस्टेट उद्योग की युवा पीढ़ी को एक मंच पर लाने के लिए आयोजित किया जाता है।
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

17. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. हाल ही में कैमकॉर्डिंग और पायरेसी के खतरे से निपटने के लिए सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1952 में संशोधन किया गया है।
2. सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक, 2019 में यह प्रावधान किया गया है, कि यदि कोई धारा-6 एए की उल्लंघन करता है, तो उसे 3 साल की सजा हो सकती है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

18. राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन असत्य है।
(a) हाल ही में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् ने 12 फरवरी को अपना 62वाँ स्थापना दिवस मनाया।
(b) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय द्वारा वर्ष 1958 में स्थापित किया गया था।
(c) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् एक स्वायत्तशासी, बहुपक्षीय और गैर-लाभान्वित संगठन है।
(d) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् स्थापना दिवस को उत्पादकता दिवस' के रूप में मनाता है।

19. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. हाल ही में नीति आयोग और माइकल सुसान डेल फाउंडेशन ने प्रणालीगत सुधारों के माध्यम से पब्लिक स्कूल में सुधार लाने के लिए आशय पत्रक पर हस्ताक्षर किए है।
2. नीति आयोग का गठन 1 जनवरी, 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

20. 'अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. हाल ही में इसका पांचवां सम्मेलन तमिलनाडु में किया गया है।
2. बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना का क्रियान्वयन विश्व बैंक के सहयोग से जल संसाधन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

21. 'आउटरीच कार्यक्रम' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. इसका आयोजन वस्त्र मंत्रालय द्वारा वस्त्र उद्योग क्षेत्र के सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों के लिए किया गया।
2. 2 नवम्बर, 2018 को सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों के लिए 100 दिनों के आउटरीच कार्यक्रम का शुभारंभ किया था।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

22. 'एनआरआई विवाह पंजीकरण विधेयक- 2019' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. इस विधेयक में कहा गया, कि भारतीय महिलाओं को अनिवासी भारतीयों द्वारा किये जाने वाले कपटपूर्ण विवाह से बचाने के लिए सुरक्षा प्रदान किया जाएगा।
2. इसी के तहत भारत या भारत के बाहर होने वाले ऐसे विवाह को शादी की तारीख से 30 दिनों के भीतर पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य किया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

23. 'ई-औषधि पोर्टल' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी औषधियों की ऑनलाइन लाइसेंस प्रणाली के लिए इस पोर्टल की शुरूआत की है।
2. यह पोर्टल आयुष मंत्रालय की पहल है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

24. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. हाल ही में डॉ. अनूप सतपथी की अध्यक्षता में विशेष समिति ने राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने की सिफारिश की है।
2. इस विशेष समिति ने आवश्यकता आधारित राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी दर 375 रूपये प्रतिदिन निश्चित करने की अनुशंसा की है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

25. 'ई-टूरिस्ट वीजा' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. यह भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय से संबंधित है।
2. ई-पर्यटन और ई-व्यापार बीजा के अंतर्गत भारत में प्रवास की अवधि 1 वर्ष र दी गई है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

ANSWER KEY

16-31 जनवरी को दिए गए संभावित प्रश्न (प्रीलिम्स का उत्तर)...

1.	(a)	2.	(a)	3.	(c)	4.	(d)	5.	(c)	6.	(d)	7.	(c)	8.	(d)	9.	(a)	10.	(a)
11.	(d)	12.	(c)	13.	(c)	14.	(a)	15.	(b)	16.	(c)	17.	(a)	18.	(c)	19.	(c)	20.	(a)
21.	(c)	22.	(a)																